**भारत सरकार**

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय**

**उच्‍चतर शिक्षा विभाग**

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्याः 2118**

उत्तर देने की तारीखः 12.05.2016

**नेशनल इंस्टिट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क**

**2118. श्रीमती वंदना चव्हाणः**

**श्री ए॰ यू॰ सिंह दिवः**

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए नेशनल इंस्टिट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क का ब्यौरा क्या है;

(ख) संस्थाओं की रैंकिंग किए जाने के लिए निर्धारित मापदंडों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार की सामाजिक रूप से संगत मापदण्डों को शामिल करने के लिए रैंकिंग हेतु अपने मापदंडों के विस्तार की योजना है;

(घ) क्या सरकार ने विश्वविद्यालयों की रैकिंग करने में विसंगतियों और खामियों का संज्ञान लिया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कोई सुधारात्मक कार्रवाई की गई है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या सभी संस्थाओं के लिए एन आई आर एफ के अंतर्गत रैंक प्रदान किया जाना अनिवार्य है, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**उत्तर**

**मानव संसाधन विकास मंत्री**

**)श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी)**

(क): मंत्रालय ने इंडियन रैंकिंग 2016 जारी की है और राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (एनआईआरएफ) के आधार पर देश के शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों, 100 इंजीनियरिंग, 50 प्रबंधन और 50 फार्मेसी कॅालेजों की रैंकिंग की गई है। इनका ब्यौरा एनआईआरएफ की वेबसाइट <https://www.nirfindia.org/Ranking> पर उपलब्ध है। उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए बैंचमार्क हेतु एक फ्रेमवर्क तैयार करना इस रैंकिंग का मुख्य उद्देश्य है ताकि वे इस क्षेत्र में स्वयं की तुलना अपने समकक्ष संस्थानों से कर सकें। इस रैंकिंग प्रणाली से संस्थानों को उनके सामर्थ्य के क्षेत्रों और दुर्बलताओं को समझने में तथा सुधारात्मक कार्रवाई, यदि आवश्यक हो, करने में भी सहायता मिलेगी।

(ख): रैंकिंग के लिए निम्नलिखित पांच व्यापक मानदंड अपनाए गएः-

1. शिक्षण, अधिगम और संसाधन

2. अनुसंधान, व्यावसायिक तौर-तरीके और सहयोगात्मक निष्पादन

3. स्नातक परिणाम

4. पहुंच

5. अवबोधन

(ग): जी, नहीं।

(घ): सरकार ने समग्र रैंकिंग के संबंध में विभिन्न हितधारकों से रचनात्मक इनपुट और सुझाव प्राप्त किए हैं तथा रैंकिंग प्रणाली में सुधार लाने के लिए मंत्रालय द्वारा इन पर विचार किया जा रहा है। देश के संस्थानों में गुणवत्ता युक्त शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए एनआईआरएफ के दायरे को बढ़ाया जाएगा।

(ड.): जी, नहीं। हालांकि संस्थानों को एनआईआरएफ में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, लेकिन यह अनिवार्य नहीं है। उच्च शिक्षा के केन्द्रीय शिक्षण संस्थानों को भाग लेने के लिए एडवाइज़री जारी की गई है।

\*\*\*\*\*